रामाकत जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ

e-mail-meso.seraikella@gmail.com & dwo.seraikella@gmail.com

प्रेषक

पत्राक-509 / आई०टी०डी०ए०

जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ।

सेवा में.

सभी प्राचार्य / संस्था प्रधान / प्रधानाध्यापक सरायकेला-खरसावाँ।

सरायकेला, दिनांक-26: 03:2021

विषय :— वित्तीय वर्ष 2020—21 में पोस्ट मैट्रिक झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ई—कल्याण पोर्टल पर छात्र—छात्राओं द्वारा ऑनलाईन किये गये आवेदनों का ससमय त्रृटि का निराकरण करने के संबंध में।

प्रसंग : कार्यालय पत्रांक-388 / आई०टी०डी०ए०, दिनांक-05.03.2021

उपर्युक्त विषय एवं प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2020—21 में पोस्ट मैट्रिक झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति छत्रवृत्ति योजना नियमावली 2018 के प्रावाधानों के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2020—21 में जिला छत्रवृत्ति योजना नियमावली 2018 के प्रावाधानों के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2020—21 में जिला छत्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपलोड किये गये सभी दस्तावेजो का जाँचोपरात जिला कल्याण कार्यालय द्वारा विभागीय नियमावली शर्तों के निमित्त पाये गये छात्र—छात्राओं का आवेदन Approval किया गया है एवं जिन छात्र—छात्राओं के द्वारा Document गलत अपलोड किया गया है। वैसे छात्रों का DA_Level से Pending कर सही दस्तावेजो को Upload करने हेतु Edit Option विभाग द्वारा खोल दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि Da_Level से Pending छात्र—छात्राओं का त्रृटि का निराकरण कर ससमय दिनांक—28.03.2021 तक सही दस्तावेजों को अपलोड कराने हेतु अपने स्तर से छात्र—छात्राओं का सूचित करना सुनिश्चित करेगे। साथ ही छात्र—छात्राओं का Pending से सम्बधित त्रृटि का निराकरण दिनांक—28.03.2021 तक नहीं होने पर छात्रवृत्ति से वंचित होने पर इसकी सारी जवाबदेही विद्यालय/संस्थान की होगी।

(1) < 120 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) < 2001 47 (1) <

जिला कल्याण पदाधिकारी, असरायकेला-खरसावाँ। १३ना.क -2 ६ ००८ २०२। पार्थे पार्थे पार्थे पार्थे पार्थे